*545. How the questioner (Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' and Shri Kapil Siba) were absent. For answer *vide* page 28 *infra*.]

*546. How the questioner (Shri C.O. Poulose) was absent. For answer *vide* page 29 *infra*]

MR. CHAIRMAN: Q No. 547.

*547. **श्री जे॰ चितरंजन:†**
श्री वी॰ वी॰ राघवन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने कृषि विभाग को एक जोखिम-विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया है जिसमें यह कहा गया है कि चीन से आयातित सेबों में ऐसे नाशीजीव विद्यमान हैं जो भारत में नहीं पाये जाते तथा जो भारतीय सेबों को नुकसान पहुंचा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग को कृमि जोखिम विश्लेषण (पी॰ आर॰ ए॰) के बारे में कोई अध्ययन नहीं भेजा गया है। तथापि, एपीडा ने चीन में सेबों पर हुए कृमियों की एक सूची भेजी है।

उपलब्ध सूचना, जिसमें स्थानिक कृमियों की स्थिति और फैलाव शामिल है, तथा एपीडा द्वारा मुहैया कराई गई सूची के अनुसार, सेबों पर पी॰आर॰ए॰ अधययन पौध संरक्षण, संगरोध तथा संचयन निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया है। पी॰आर॰ए॰ अध्ययन के परिणामस्वरूप, पौध संगरोध महत्व के सम्भाव्य कृमियों को चिन्हित किया गया है ताकि स्त्रोत देश द्वारा जारी किए जाने वाले पादपस्वच्छता प्रमाणपत्र पर अतिरिक्त घोषणाएं विनिर्दिष्ट करके और विशेष शर्तें लगाकर आयात प्रतिबंध लगाए जा सकें।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री जे॰ चितरंजन द्वारा पूछा गया।

फलों सहित सभी आयातित पौधों, पौध सामग्री को प्रवेश पत्तन पर उनकी निर्मुक्ति किए जाने से पूर्व पौध संगरोध, जांच, निरीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण तथा उपचार के माध्यम से गुजरना पड़ता है ताकि देश में किसी विदेशी कृमि/कीट के प्रवेश को रोका जाना सुनिश्चित किया जा सके और सेब सहित भारतीय फलों को होने वाली हानि से रोका जा सके।

Pests in Imported Apples

†*547. SHRI J. CHITHARANJAN:††
SHRI V. V. RAGHAVAN:

Will the Minister of AGRICULTURE to pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) has submitted a risk-analysis to the Department of Agriculture, which states that apples imported from China contain pests that are not found in India and can harm Indian apples; and

(b) if so, the details thereof and what action has been taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI HUKUMDEO NARAYAN YADAV) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir. No Pest Risk Analysis (PRA) study has been submitted by Agricultural and Processed Food Products Development Authority (APEDA) to the Department of Agriculture and Cooperation (DAC). However, APEDA has submitted a list of pests on apples occurring in China.

On the basis of available information, including the status and distribution of endemic pests and the list provided by APEDA, PRA study on apples has been completed by the Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage, DAC. As a result of PRA study, the potential pests of Plant Quarantine significance have been identified for imposing import restrictions by specifying additional declarations and special conditions on Phytosanitory Certificate (PSC) to be issued by the country of origin.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitharanjan.

significance have been identified for imposing import restrictions by specifying additional declarations and special conditions on Phytosanitory Certificate (PSC) to be issued by the country of origin.

All the imported plants, plant material including fruits are subjected to through Plant Quarantine screening, inspection, laboratory tests and treatment before their release at the port of entry so as to ensure that no exotic pest/ insect enter the country and cause any harm to Indian fruits including apples.

SHRI J. CHITHARANJAN : Sir, in the reply, it is stated that the Food Products Development Authority has not submitted a Risk Analysis Study to the Department of Agriculture. It states that apples imported from China contain pests that are not found in India, and that they can harm apples.

Now, these food articles, especially fruits, are being imported from several countries of the world. You have the Australian apple, the Chinese apple, and so on. Apples and other fruits that are produced in various other countries are available in the market. It is matter to be looked into, whether there is any risk. Therefore, my question is whether the Government will take steps to conduct a Risk Analysis Study not only of the products that are being brought from China, but also of the other fruits that are being brought from other countries.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, प्रश्न के उत्तर में जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है, उसमें हमने कहा है कि कोई अध्ययन नहीं किया गया है। उसमें केवल यह बताया गया है कि अपेडा ने एक सूची कृषि मंत्रालय के पास भेजी थी कि चाईना से जो फल यहां आते हैं, उनमें किस-किस प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं। वह सूची हमारे पास है और फिर उसी सूची के आधार पर जब बाहर से फल यहां आते हैं तो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा उस पर चैकिंग की जाती है, उस आधार पर हम देखते हैं कि किस तरह से यह कीड़ा आया है। महोदय, अध्ययन करना अलग बात है और सूची रखना अलग बात है। इस बारे में अभी कोई अध्ययन नहीं हुआ है। केवल हमें सूची दी गई है खासकर चाईना के संबंध में और दूसरे देशों के संबंध में। हम कृषि मंत्रालय की ओर से इस बारे में सतर्कता बरतते हैं कि इस प्रकार के जो कीट हैं, उनको यहां आने से हम कैसे रोक सकते हैं। हमारा काम इतनी ही दूर तक रहता है जिसको हम कृषि मंत्रालय से कराते हैं।

SHRI J. CHITHARANJAN : Sir, my question is whether the Ministry of Agriculture will take the necessary steps to conduct a proper study, by doing a risk analysis of all these fruits, which are imported from other countries.

The normal checking will not be enough. Therefore, I would like to have a specific answer from the hon. Minister, in this regard.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमन्, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। विदेश से जितने प्रकार के फल आते हैं उन फलों में इस देश में किस-किस प्रकार के कीड़े होते हैं उसकी सूची हमारे पास उन्होंने भेजी थी। उसके आधार पर कृषि मंत्रालय कार्रवाई करती है। अध्ययन करके उसको रोकने या पकड़ने या जिस तरह से वह आता है। इसमें कृषि मंत्रालय के साथ-साथ वाणिज्य मंत्रालय दोनों मिलकर काम करते हैं क्योंकि जो आयात निर्यात होता है उस आयात निर्यात के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। हमारे यहां जो कीट होते हैं और कीड़े होते हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके बारे में हम देश के किसानों को पूरी जानकारी देते हैं जो उनकी सूची हमारे पास में आई है कि कहां से किस तरह के कीड़े हैं और कैसे पाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए कृषि मंत्रालय के द्वारा जो काम किया जाना चाहिए, उसके बारे में हम तत्पर हैं और उस तरफ हमेशा चिंतित रहते हैं कि उसको कैसे रोका जाए।

श्रीमती सरोज दुबे : दोनों मंत्रालयों में तालमेल होना चाहिए।

SHRI V. V. RAGHAVAN : Mr. Chairman, Sir, a large number of hotels are importing fruit juices of apples, grapes, oranges and other fruits from Australia and other countries. This import has adversely affected our fruit-growers and our agriculture. Would the Government take some steps to curb it, if not stop it, in order to put some qualitative restrictions on import of fruit juices from foreign countries?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, जो प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री बाहर से मंगाई जाती है जैसे जूस हो, फल हों या कुछ भी हों किस अनुपात में हम मंगाएं, उस पर हमारा कितना नियंत्रण होना चाहिए, इस पर कृषि मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के साथ सम्पर्क करके हम प्रयत्न करते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ कहीं से भी विदेश से आए तो हम उसके संतुलन और अनुपात को बनाए रखें जिससे कि हिन्दुस्तान के किसानों को या फूड प्रोसेसिंग के काम में जो लगे हुए हैं उनके हितों को कोई आघात न हो। पूरी तरह से कृषि मंत्रालय के द्वारा हम सचेष्ट रहते हैं और उस पर विचार करते रहते हैं और भारतीय किसानों को तथा इस उद्योग में लगे हुए लोगों को नुकसान हम नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा संकल्प है।

SHRI V. V. RAGHAVAN : Sir, my question was whether the Government would stop import of fruit juices from foreign countries.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जो हम आयात कर रहे हैं उसको आप रोकने के बारे में कह रहे हैं। आयात और निर्यात का काम एक समझौते के तहत दूसरे देश के साथ किया जाता है। हम आयात को पूरा नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन हम आयात को इस अनुपात में बनाकर रखना चाहते हैं कि आयात से हमारे किसानों को कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसा देखना हमारा काम है। कृषि मंत्रालय की तरफ से हम देखते रहते हैं कि किसी तरह नुकसान न हो। यह पूरे तौर पर रोकना संभव नहीं है।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, this question relates to apples. Coming, as I do, from an apple-growing State, and being myself an apple grower, I must point out that the situation of the Indian apple is now becoming very serious. Members will remember that, at one point of time, the Kashmir apple was famous, but today because of these pests, that apple has become virtually extinct, and the same problem is now arising with the Himachal apple. Will the hon. Minister be pleased to tell us that apart from this question of Chinese apples, is he taking any steps to see that the quality of apples within the country is upgraded and that horticulturists are also given some priority? At the same time, in this whole agricultural ocean, horticulture doesn't receive the attention that it deserves. What steps are you taking to ensure that necessary pesticides are given to Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and to places where apples are grown so that our indigenous apples can compete with the imported apples?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, कृषि मंत्रालय की तरफ से अनेक तरह के फल, सब्जी और फसल में वृद्धि के लिए कदम उठाये जाते हैं। उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और उन पर जो कीड़े-मकोड़ों का प्रकोप होता है, उनको रसायनिक और देशी पद्धति से रोकने में हम कैसे सफल हों, उसके लिए हम निरन्तर काम करते रहते हैं। आईसीएआर में हमारी अनेक अनुसंधानशालाएं हैं, वे हर समय इस काम में लगी रहती हैं। ...**(व्यवधान)**...

डा॰ कर्ण सिंह: विशेषकर सेब के लिए क्या किया है?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति महोदय, जो सेब वाले इलाके हैं, वहां से जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हम उनका निराकरण करने का प्रयत्न करते हैं। आपने विशेषकर सेब के इलाके के बारे में कहा है, आपने सरकार से कहा है तो उस इलाके के लिए हम विशेषरूप से कुछ सोचेंगे, कुछ काम करेंगे जिससे कि वहां के किसानों को कोई नुकसान न हो, उनको उत्पादन में कोई नुकसान न हो, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे, इसके लिए हम जरूर कदम उठायेंगे।

SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA: Sir, the problem has arisen after liberalisation in the agricultural sector due to the WTO. Here, the pest analysis should have been intensively done. Sir, what is happening? In the areas of fruits and imported foodgrains, this country is suffering a-lot because of pests coming to this country. Perhaps, two years back, the wheat imported from Australia carried seeds of congress grass. Because of that, our crops are threatened. The congress grass dangerously grows in Punjab along the roads and in all the areas. The congress grass, people should not take it otherwise, reduces the oxygen level in the air. It is a very serious problem. Sir, it was decided earlier that foodgrains, such as wheat, if at all to be imported, should be stored in the Southern States so that it doesn't carry seeds of weeds and they don't reach the Northern States where wheat is produced in bulk. I want to put a specific question: Why is the Agricultural Ministry becoming a hazardous source—where policies of imports are formulated for importing fruits, even cereals and other food products—for the health of the indigenous production in agricultural and horticultural areas? Are you thinking, Mr. Minister, to send your team to the spots of origin of these commodities in foreign countries, where these commodities are loaded for exporting to this country, so that the required pest risk analysis is done?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, मुख्य रूप से यह जो प्रश्न है, उसमें सेब के संबंध में जानकारी मांगी गयी थी। सेब से संबंधित जो भी जानकारी थी, वह सब जानकारी मैंने दे दी है। बाकी गेहूं हो या चावल हो, दलहन हो या दूसरी तरह का कोई अनाज हो, विदेश से हम मंगाते हैं, उनमें किस तरह के जंगल आते हैं, बीज आते हैं, घास आती है, नुकसान करती है या कांग्रेस घास है वह अमेरिकन गेहूं के साथ कब आई, कब नहीं आयी, पी॰ एल॰ 480 के तहत तो आता था, तब से है। वर्तमान में जो भी आता है, वर्तमान में जो कुछ भी है, जो आपने कहा कि हम आयात करते हैं – सेब और फल के संबंध में और दूसरे अनाज के संबंध में किस तरह की घास आती है या किस तरह के जंगल आते हैं, क्या नुकसान होता है, इसकी अगर जानकारी अलग से मांगी जाएगी तो पूरी जानकारी हम आपके सामने रख देंगे क्योंकि हर फसल में, फल में या सब्जी में अलग-अलग तरह के जंगल होते हैं, अलग अलग तरह के कीड़े होते हैं, वह सब जानकारी एक साथ उपलब्ध नहीं हो सकती।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, मंत्री महोदय ने कहा कि फलों की कोट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, पूरे स्टैटिस्टिक्स रखते हैं ताकि जो भारतीय किसान है वह उसको अपना माल बेचे। क्या सेब के संबंध में आपने ऐसा कोई स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं कि कितना इम्पोर्ट किया और जो लोकल प्रोडक्शन थी, वह बिक पाई या नहीं बिक पाई। क्या आपको मालूम है

कि एक बार जब किसी चीज को ओ॰ जी॰ एल॰ में डाल देंगे तो उसके बाद आपका इम्पोर्ट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। मंत्री महोदय, आप हाऊस को मिसगाइड कर रहे हैं। यह बड़ा सीरियस मामला है। एक बार कोई प्रोडक्ट आप ओ॰ जी॰ एल॰ में डाल देंगे तो उसके इम्पोर्ट पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। लोकल सेब की जो प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में थी, यह पूरी तरह से खत्म होती जा रही है और आपको मालूम ही नहीं है कि आप कितना भारी डेमेज इस फल पर कर रहे हैं। इसके ऊपर आपने क्या स्टैटिस्टिक्स बनाए हैं? पिछले तीन साल से यह इम्पोर्ट हो रहा है। इस संबंध में क्या कोई आंकड़े आपके पास हैं जो आप हाऊस को बोल रहे हैं।? आपने कितने टन इम्पोर्ट किया और कितने टन पहले यहां पर प्रोड्यूस होता था?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: चेयरमैन साहब, जहां तक सेब का सवाल है, माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना हमने आयात किया, कितना निर्यात किया। 1998-99 में 2.70 मीट्रिक टन आयात किया। ...(व्यवधान)...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मीट्रिक टन यानी कितना? ...(व्यवधान)...यह लाख है या हजार है। आपको मालूम है कि जो आप बोल रहे हैं यह केवल 27 टन है। 27 टन में क्या कुछ आता है, दो कंटेनर भी नहीं होते हैं। आपको मालूम भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि केवल दो कंटेनर आपने इम्पोर्ट किया। आप हाऊस को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: 2.7 मिलियन टन।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: फिर मिलियन टन बोलिए। आपको यह ही नहीं मालूम कि आप क्या बोल रहे हैं। मिलियन टन बोल रहे हैं या हजार टन बोल रहे हैं, आपको यह ही नहीं मालूम और आप कहते हैं कि आप कंट्रोल करते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: हम यह मानकर चल रहे थे कि आपको इतना ज्ञान तो होगा ही। आप अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं, मीट्रिक और मिलियन में थोड़ा आगे-पीछे हो जाता है, अगर हिन्दुस्तानी माप में रहता, क्विंटल या सेर में रहता तो गड़बड़ी नहीं होती।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: अगर आप हिन्दुस्तान के किसानों की चिंता करते तो आप यह इम्पोर्ट अलाऊ ही नहीं करते। आप अंग्रेजी के नाम पर इम्पोर्ट अलाऊ कर रहे हैं और उससे किसान सफर कर रहा है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह अलग है। जो आपने पूछा कि कितना हमने भेजा है, उसके संबंध में मैंने आपको बताया कि 1998-99 में वह 2.70 मिलियन टन था।

श्री लालू प्रसाद: जो आपको हुकुम हुआ, वही बता रहे हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: जो हमने उचित समझा वह हमने किया। उसी तरह से जो हमारे पास आयात और निर्यात के आंकड़े हैं, अगर हर साल के आंकड़े हम बताएंगे, अगर हम हर साल के आयात-निर्यात के आंकड़े भेजेंगे तो इसमें समय लगेगा। इतने समय में तो सारे कागजात मैं आपको भिजवा दूंगा।

श्री लालू प्रसाद: भेज दीजिए।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Sir, my supplementary emanates from the reply given by the hon. Minister to the queation raised by Mr. Ramoowalia. The crux of the question is not only the item that we are importing, but the crux of the question is about pests containing in the items that are being imported into the country. It is very important. Therefore, Mr. Ramoowalia has raised a question about the pests containing in the wheat being imported into the country. Therefore, it cannot be sidelined on the pretext that the question relates only to 'pests in apples.' It is not so. Therefore, my supplementary is this. Shri Ramoowalia stated that the wheat imported from foreign countries contain pests. The hon. Minister has not replied to that question. Here, the point is, such wheat, actually, has been supplied to the Southern States. So, I want to know from the hon. Minister whether the wheat imported from other countries and supplied to the Southern States contain pests. If 'Yes' whether the Government has taken any action in this regard to see that such type of wheat is not imported hereafter into the country.

Part (b) of my supplementary is : Why did the Government of India decide to send such a type of wheat only to the Southern States?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति जी, माननीय रामूवालिया जी ने जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में मैंने बताया था कि हमसे जो जानकारी मांगी गई थी वह केवल सेब के संबंध में मांगी गई थी, गेहूं और अन्य चीजों के संबंध में जानकारी नहीं मांगी गई थी। उसे रोकने के लिए प्लान्न काओरेन्टाइन होता है। इसे डिपार्टमेंट देखता है। जो जानवर लाते हैं उन्हें भी देखते हैं, फल, सब्जी, पेड़-पौधे हर चीज को देखते हैं। बंदरगाह और हवाई अड्डे पर उसकी निगरानी और नियंत्रण करने का परीक्षण करते हैं। उसका परीक्षण करने के बाद ही उसे देश में आने की अनुमति देते हैं। अपनी तरफ से जितना किया जा सकता है उतना सरकार करती है। यदि इससे अतिरिक्त जानकारी माननीय सदस्य के पास है कि कहीं कोई गड़बड़ रह गई है, जिससे किसी खतरे का अहसास हुआ है तो वह आप हमें भेजिए, हम उस पर पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई करेंगे।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI : I want more information on this. It can be reduced to writing and sent to me.

SHRI OSCAR FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, whether it is a fact that the Government of Australia does not permit import of fruit and fruit products into their country. If 'so' the reasons thereof? If it is true that they are not allowing imports, how is it that India allows Australian apples into the country?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: सभापति जी, जहां तक कृषि मंत्रालय के साथ हमारा संबंध है तो हम उसकी रोग नियंत्रण, गुणवत्ता, उत्पादकता, कहां से कितना आयात करते हैं, कितना निर्यात करते हैं, किसी देश के साथ हमारा समझौते कैसे होते हैं, उस संबंधा में हमारा कृषि मंत्रालय के साथ उतना संबंध नहीं रहता। लेकिन आपने जो जानकारी दी है, उस संबंध में हम संबंधित मंत्रालय से चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि जानकारी के अनुसार कार्रवाई करें।

श्री देवी प्रसाद सिंह: सभापति जी, हमारे देश में हॉर्टिकल्चर का लगभग 37 प्रतिशत फल और सब्जी रख-रखाव के बगैर खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। जिस देश में इतना फल बर्बाद होता है उस देश के लिए बाहर से फल आयात करना प्रदेश के किसानों के साथ उचित व्यवहार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस आयात नीति पर आप पुनर्विचार करने की कोशिश करेंगे?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, जहां तक फल और सब्जियों के रखरखाव का प्रश्न है, अभी वर्तमान सरकार में काफी इस पर हम प्रयत्नशील हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए हम योजना चला रहे हैं जिसमें 25 प्रतिशत या 50 लाख रुपए हम उसमें अनुदान भी देते हैं, ऋण भी देते हैं। तो जहां तक किसानों को भंडारण की सुविधा हो या एनसीडीसी की तरफ से हम आईसीडीपी प्रोग्राम चलाते हैं उसमें हर जगह पैक्स में जहां हम आईसीडीपी स्कीम को लेते हैं वहां हर जगह पैक्स में गोदाम बनाने का काम करते हैं। व्यापार मडलों में गोदाम बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। उसी तरह से कृषि मंत्रालय की तरफ से फिर हम यह स्कीम लाए हैं कि काफी व्यापक पैमाने पर गोदाम बनाए जाएं। तो भंडारण और शीत गृहों के लिए जहां हम फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकें, ज्यादा देर तक रख सकें उसके लिए पूरी तरह से हम इस योजना पर अमल कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आयात नीति का सवाल है, आयात नीति के सवाल में जब हम बैठते हैं तो कृषि मंत्रालय की तरफ से हम अपने आंकड़े भेजते हैं और जब दूसरे देशों के साथ बैठकर चर्चा होती है तो उसमें भी यह करते हैं। हम भारत के किसान हों, फल या सब्जी उत्पादक हो, या जो भी हों उनके हितों की पूर्ण सुरक्षा करते हैं कि हम किस अनुपात में आयात की अनुमति दें और आवश्यकता

पड़ती है तो उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से अनेकों प्रकार के कदम भी उठाए जाते हैं।

*548. *[The questioner (Dr. (Ms.) P. Selvie Das) was absent. For answer vide page 30 infra.]*

*549. *[The questioner (Shri Kalraj Mishra) was absent. For answer vide page 33 infra.]*

*550. *[The questioner (Shri A. Vijaya Raghavan) was absent. For answer vide page 33 infra.]*

*551. *[The questioner (Shri K.B. Krishna Murthy) was absent. For answer vide page 36 infra.]*

Anti-Snake Venom

*552. SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether there is acute shortage of Anti-snake venom preparation in the country;

(b) if so, what measures are being taken to ameliorate this problem;

(c) whether some regulatory measures by way of control and supervision of experiments on animals are responsible for stoppage of production of Anti-Snake venom; and

(d) if so, how Government are planning to overcome the situation?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No Shortage of Anti Snake Venom Serum (ASVS) has been reported by any State Government.

(c) and (d) The Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) has drafted a Scientific Protocol for production of sera/anti-toxins from equines. Based on this Scientific protocol, CPCSEA conducted inspections of various institutions involved in production of sera/anti-toxins. On the direction of the CPCSEA, the production of ASVS